मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल, भोपाल

एफ–7 सांची कॉम्पलेक्स बोर्ड ऑफिस के सामने भोपाल म.प्र. 462016
दूरभाष: 07552767786 ई–मेल: registrarmpmc@gmail.com

क्र. एमपीएमसी/प्रोविजनल (विदेश)/2021/3661 भोपाल दिनांक 10/11/2021

//परिपत्र//

विषयः– भारत के बाहर के देशों से एम.बी.बी.एस. अथवा समकक्ष कोर्स पश्चात् म.प्र. मेडिकल कौंसिल में प्रोविजनल पंजीयन ।

म. प्र. मेडिकल कौंसिल द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र कमांक एमपीएमसी/प्रोविजनल (विदेश)/2020/571 दिनांक 25.01.2020 को अधिकमित करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. **सेवा का उद्देश्यः–**
   भारतीय नागरिक जिसने भारत के बाहर के देशों (तत्कालीन रशियन स्टेट्स) के चिकित्सा संस्थान से मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. अथवा समकक्ष कोर्स एम.बी.बी.एस. कोर्स करने के उपरांत भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 25 के प्रावधान अनुसार चिकित्सा छात्र द्वारा नेशनल मेडिकल कमीशन नई दिल्ली (तत्कालीन मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली) से मान्यता प्राप्त म.प्र. राज्य के मेडिकल कॉलेज / हॉस्पिटल से ईन्टर्नशिप करने के उद्देश्य से 1 वर्ष हेतु अथवा ईन्टर्नशिप की अवधि पूर्ण होने तक प्रोविजनल पंजीयन करना ।
2. **पदाभिहित अधिकारी :–**
   रजिस्ट्रार, म. प्र. मेडिकल कौंसिल, भोपाल
3. **आवेदन पत्र एवं प्रारूप :–**
   आवेदन एम. पी. ऑनलाइन पोर्टल अथवा कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन ही किया जावेगा ।
4. **पात्रता की आवश्यक शर्तें :–**
   - 4.1 आवेदक भारतीय नागरिक हो ।
   - 4.2 आवेदक म.प्र. का मूल निवासी होना चाहिए । यदि आवेदक म. प्र. का मूल निवासी नहीं है तो उसे अपने राज्य की स्टेट मेडिकल कौंसिल से पंजीयन हेतु संपर्क करना होगा ।
   - 4.3 भारतीय नागरिक जिसने भारत के बाहर के देशों (तत्कालीन रशियन स्टेट्स) से एम.बी.बी.एस. अथवा समकक्ष कोर्स उत्तीर्ण किया हो

     अथवा
   - 4.4 जिस छात्र ने तत्कालीन रशियन स्टेट्स के अतिरिक्त अन्य देश से एम.बी.बी.एस. अथवा समकक्ष पाठ्यकम उत्तीर्ण किया हो तथा नेशनल मेडिकल कमीशन नई दिल्ली (तत्कालीन मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली) द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय अथवा चिकित्सालय से इन्टर्नशीप करना चाहते है, वे प्रोविजनल (विदेशी चिकित्सा अर्हता) हेतु आवेदन प्रस्तुत करे।
   - 4.5 यदि किसी छात्र ने तत्कालीन रशियन स्टेट्स से एम.बी.बी.एस. अथवा समकक्ष कोर्स उत्तीर्ण करने के उपरांत तीन वर्षीय Clinical Ordinatura सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो वे डायरेक्ट परमानेंट पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करें।

10/11/2021 10/11/2021

4.6 जिस छात्र ने तत्कालीन रशियन स्टेट्स के अतिरिक्त अन्य देश से एम.बी.बी.एस. अथवा समकक्ष कोर्स उत्तीर्ण किया हो तथा अपनी इन्टर्नशिप भी पूर्ण कर ली हो, वे भी डायरेक्ट परमानेंट पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करें।

4.7 नेशनल मेडिकल कमीशन नई दिल्ली (तत्कालीन मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली) द्वारा आवेदक को विदेश के चिकित्सा संस्थान से एम.बी.बी.एस. अथवा समकक्ष कोर्स में प्रवेश हेतु Eligibility certificate प्राप्त किया गया हो तथा उस ही चिकित्सा संस्थान से एम.बी.बी.एस. अथवा समकक्ष कोर्स उत्तीर्ण किया हो जहां के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन नई दिल्ली (तत्कालीन मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली) द्वारा उन्हें Eligibility certificate प्रदान किया गया है।

4.8 आवेदक द्वारा एम.बी.बी.एस. अथवा समकक्ष कोर्स उत्तीर्ण करने के उपरांत Screening Test उत्तीर्ण कर लिया हो ।

4.9 म.प्र. राज्य के लिए, नेशनल मेडिकल कमीशन नई दिल्ली (तत्कालीन मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली) से मान्य मेडिकल कॉलेज/हॉस्पिटल से इन्टर्नशीप करने हेतु संचालक चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश से अनुमति आदेश प्राप्त कर लिया हो।

4.10 अधिष्ठाता/संस्था प्रमुख/अस्पताल अधीक्षक (जिस संस्था से चिकित्सा छात्र ईन्टर्नशिप कर रहा है) द्वारा जारी इंटर्नशिप अंडरगोइंग प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया हो ।

4.11 ईन्टर्नशिप पूर्ण करने के उपरांत प्रोविजनल पंजीयन हेतु आवेदन स्वीकार नहीं होगा ।

5. आवश्यक दस्तावेज :–

5.1 जन्मतिथि के सत्यापन हेतु कक्षा 10वीं की अंकसूची,

5.2 कक्षा 12वीं की अंकसूची,

5.3 म. प्र. के मूल निवासी का प्रमाण पत्र ।

5.4 नेशनल मेडिकल कमीशन नई दिल्ली (तत्कालीन मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली) द्वारा जारी Eligibility certificate.

5.5 नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन, नई दिल्ली का Screening Test उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।

5.6 एम.बी.बी.एस. अथवा समकक्ष कोर्स उत्तीर्ण की समस्त अंकसूचियां,

5.7 एम.बी.बी.एस. अथवा समकक्ष कोर्स की डिग्री ।

5.8 म.प्र. राज्य के नेशनल मेडिकल कमीशन नई दिल्ली (तत्कालीन मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली) से मान्य मेडिकल कॉलेज/हॉस्पिटल से इन्टर्नशीप करने हेतु संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा जारी अनुमति आदेश।

5.9 अधिष्ठाता/संस्था प्रमुख/अस्पताल अधीक्षक (जिस संस्था से चिकित्सा छात्र इंटर्नशीप कर रहा है) द्वारा जारी ईन्टर्नशिप अंडरगोइंग प्रमाण पत्र ।

5.10 पासपोर्ट एवं वीज़ा की छायाप्रति । (जिस देश हेतु पासपोर्ट एवं वीजा अनिवार्य है, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा)

5.11 कक्षा 10वीं एवं 12वीं के ऑनलाइन सत्यापन की प्रति
(जहां दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन की सुविधा नहीं है वहां के लिए सत्यापन शुल्क म.प्र. मेडिकल कौंसिल में अभिलेखों के सत्यापन के समय जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा)

5.12 संबंधित देश की मेडिकल कौंसिल द्वारा जारी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (यदि हो)

5.13 भारतीय दूतावास द्वारा जारी पत्र जिसमें लेख हो कि उस देश में जहां से आवेदक द्वारा उपाधि प्राप्त की है, वह एक मान्यता प्राप्त उपाधि है ।

5.14 निर्धारित प्रारूप में पचास रूपये के स्टाम्प पर नोटराईज्ड शपथ पत्र Appendix 'A' ।

10/11/21 10/11/2021

5.15 आवेदक का स्वयं का फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर (दोनो एक साथ) की स्केन कॉपी । (Appendix 'B')

6. आवेदक को एम. पी. ऑनलाईन पोर्टल से आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाना होगी–

6.1 आवेदक को अपना आवेदन ऑनलाईन (https://mpmc.mponline.gov.in/) प्रस्तुत करना होगा ।

6.2 यूजर प्रोफाईल बनाने हेतु आवेदक https://mpmc.mponline.gov.in/ में User Profile Creation पर क्लिक कर अपना यूजर प्रोफाइल बनाएं। जिनके द्वारा यूजर प्रोफाइल पूर्व में ही बना ली है उन्हें दुबारा यूजर प्रोफाइल बनाने की आवश्यकता नहीं है। User Profile आवेदक के आधार नंबर के माध्यम से OTP/ Biometric से पुष्टि होकर बनेगा ।

6.3 यूजर प्रोफाइल/आवेदन प्रस्तुत करने/डॉक्यूमेन्ट अपलोड करने/ऑनलाईन भुगतान करने में कोई तकनीकी समस्या के निराकरण हेतु एम0 पी0 ऑनलाईन लिमिटेड के कस्टमर केयर के दूरभाष क्रमांक 0755–6720200 पर सम्पर्क करें अथवा एम. पी. ऑनलाइन की शिकायत लिंक http://mponline.gov.in/portal/ → Grievances पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

6.4 यूजर प्रोफाइल में आवेदक को अपना फोटो एवं हस्ताक्षर एक साथ स्केन कर निर्धारित फॉर्मेट Appendix '**B**' अनुसार अपलोड करना होगा (प्रारूप अनुसार फोटो के स्थान पर फोटो चस्पा कर उसके नीचे दिये गये हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर कर एक साथ स्कैन करें)। एक बार आवेदन पत्र जमा होने के बाद फोटो एवं हस्ताक्षर में कोई परिवर्तन/संशोधन नहीं होगा। ऐसे आवेदन को निरस्त कर दिया जावेगा।

6.5 यूजर प्रोफाइल में आवेदक को अपना मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आईडी सही–सही दर्ज करना होगा। यूजर प्रोफाइल में दर्ज मोबाइल नम्बर ही आवेदक का यूजर आईडी रहेगा।

6.6 आवेदक को रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन पत्र उसके यूजर प्रोफाइल में मिलेगा।

6.7 आवेदक, आवेदन पत्र में पूर्व से दर्ज विवरण का मिलान कर लें। कोई त्रुटि होने पर मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल की ई–मेल आईडी अथवा कार्यालय में सीधे पत्र भेजकर उक्त त्रुटि सुधार हेतु आवेदन प्रस्तुत करें।

6.8 आधार में पंजीकृत नाम ही आवेदन/सर्टिफिकेट में अंकित होगा। यदि दोनों में कोई असमानता है तो आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व अपने अभिलेख सही करवा लें । आवेदन में अपने नाम की स्पेलिंग उनके द्वारा धारित अंकसूची/प्रमाण पत्र के अनुरूप ही लिखें। आवेदक द्वारा अपना नाम, मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल एड्रेस सही–सही भरा जावे। एक बार आवेदन पत्र जमा होने के बाद नाम, मोबाईल नम्बर एवं ईमेल में कोई परिवर्तन/संशोधन नहीं होगा। ऐसे आवेदन को निरस्त कर दिया जावेगा।

6.9 आवेदन में अपने नाम की स्पेलिंग उनके द्वारा धारित अंकसूची/प्रमाण पत्र के अनुरूप ही लिखें । आवेदक द्वारा अपना नाम, मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल एड्रेस सही–सही भरा जावे। एक बार आवेदन पत्र जमा होने के बाद नाम, मोबाईल नम्बर एवं ईमेल में कोई परिवर्तन/संशोधन नहीं होगा । ऐसे आवेदन को निरस्त कर दिया जावेगा।

6.10 आवेदक अपने User Profile के माध्यम से प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदक अपनी इन्टर्नशीप पूर्ण होने के पूर्व आवेदन प्रस्तुत करें जिससे

10/11/21 10/11/2021

इन्टर्नशीप पूर्ण होने के पूर्व प्रोविजनल पंजीयन जारी किया जा सके । इन्टर्नशीप पूर्ण होने के उपरांत आवेदन स्वीकार नहीं होंगे ।

6.11 नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन, नई दिल्ली का Screening Test उत्तीर्ण करने की दिनांक से तीन माह की समयावधि में प्रोविजनल पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदक को विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा ।

6.12 आवेदक अपनी ईन्टर्नशिप प्रारम्भ किये जाने के एक माह की समयावधि में आवेदन प्रस्तुत करें । ईन्टर्नशिप पूर्ण होने के उपरांत आवेदन स्वीकार नहीं होंगे । ऐसे आवेदन को निरस्त कर दिया जावेगा।

6.13 आवेदक को आवेदन सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन दर्ज किया जाना एवं कंडिका –5 में बताये अनुसार आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर आवेदन के साथ अपलोड करना होगा।

6.14 आवेदक को बिंदु कमांक –8 अनुसार पंजीयन शुल्क + विलंब शुल्क (यदि लागू हो) का भुगतान भी ऑनलाईन किया जाना होगा। पंजीयन शुल्क [अप्रतिदेय (non refundable)] है।

6.15 आवेदक द्वारा प्रोविजनल (विदेश से प्राप्त चिकित्सा अर्हता) पंजीयन हेतु प्रस्तुत अभिलेखों का सत्यापन संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय /चिकित्सालय/संस्थाओं से सत्यापन करवाया जाना होता है । इस संबंध में कुछ संस्थानों द्वारा सत्यापन शुल्क लिया जाता है। उक्त सत्यापन शुल्क (जिस रूप में संस्था शुल्क लेती है) आवेदक को कौंसिल में प्रस्तुत करना होगा। उक्त सत्यापन शुल्क की जानकारी आवेदक को मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल से प्राप्त करना होगी।

6.16 यदि आवेदन में कोई कमी पाई जाती है तो संशोधन हेतु आवेदन आवेदक को ऑनलाइन वापस (Sent Back) किया जावेगा । ऐसी स्थिति में आवेदक को उसी दिन अपने लॉगइन पर जाकर आवेदन में संशोधन कर प्रस्तुत करना होगा।

6.17 आवेदक को म.प्र. मेडिकल कौंसिल के कार्यालय (एफ–7 सांची कॉम्पलेक्स बोर्ड ऑफिस के सामने भोपाल म.प्र. 462016) में अपने अभिलेखों के सत्यापन हेतु उपस्थित होने के लिए पोर्टल पर स्लॉट बुक कर दिनांक चयनित करना होगी। चयनित दिनांक पर ही आवेदक उक्त सत्यापित आवेदन पत्र एवं अपने मूल अभिलेखों के साथ सत्यापन हेतु उपस्थित होंगे । शासकीय अवकाश पर स्लॉट बुक न करें।

6.18 ऑनलाईन आवेदन जमा होने के साथ ही सॉफ्टवेयर से आवेदन की पावती (Receipt) तैयार होगी । आवेदन की पावती (Receipt) आवेदक के लॉगइन पर उपलब्ध होगी।

6.19 आवेदन पोर्टल पर प्रस्तुत होने के उपरांत एक यूनिक एप्लीकेशन नम्बर जनरेट होगा। उक्त यूनिक एप्लीकेशन नम्बर से अपने आवेदन की अद्यतन स्थिति ज्ञात कर सकते हैं।

6.20 अभिलेखों के सत्यापन हेतु उपस्थित होते समय प्रोविजनल के प्रकरण में उक्त आवेदन पत्र की कलर प्रिंट की प्रति पर अधिष्ठाता/संस्था प्रमुख/अस्पताल अधीक्षक (जिस संस्था से चिकित्सा छात्र इंटर्नशीप कर रहा है) से आवेदन पत्र को सत्यापित (हस्ताक्षर एवं सील सहित) करवाएं । उसकी एक प्रति आवेदक अपने पास सुरक्षित रखें ।

6.21 सत्यापन एवं मुहर लगाने हेतु बिना लेमिनेशन के मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है । अभिलेखों की छायाप्रति स्वयं द्वारा सत्यापित होनी चाहिए । समस्त मूल अभिलेख (इंटर्नशीप अंडरगोइंग सर्टिफिकेट, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र को छोड़कर) आवेदक को वापस कर दिये जावेंगे।

10/11/21

10/11/2021

6.22 यदि आवेदक चयनित तिथि को अभिलेखों के सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होता है अथवा Sent Back किये गये आवेदन में संशोधन कर उसी दिन प्रस्तुत नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में आवेदक को अभिलेखों के सत्यापन हेतु पुनः स्लॉट बुक करना होगा जिस हेतु पुनः स्लॉट बुकिंग शुल्क रूपये 500/– (पांच सौ रूपये मात्र) का भुगतान ऑनलाइन किया जाना होगा।

6.23 म. प्र. मेडिकल कौंसिल द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र / आवेदन पत्र अस्वीकृत करने का सूचना पत्र आवेदक के पते पर स्पीड पोस्ट से भेजा जावेगा ।

6.24 आवेदन एवं दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत यदि आवेदन प्रोविजनल पंजीयन के लिए पात्र नहीं पाया जाता है तो ऐसे आवेदन को स्पष्ट कारण दर्शाते हुए निरस्त करने का आदेश म. प्र. मेडिकल कौंसिल द्वारा पारित किया जावेगा ।

6.25 आपके द्वारा धारित अर्हताओं/प्रमाण पत्रों का संबंधित संस्थानों से सत्यापन प्राप्त किया जावेगा । समस्त सत्यापन प्राप्त होने के उपरांत ही परमानेंट पंजीयन जारी किया जा सकेगा ।

6.26 म. प्र. मेडिकल कौंसिल द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र / आवेदन पत्र अस्वीकृत करने का सूचना पत्र आवेदक के पते पर स्पीड पोस्ट से भेजा जावेगा ।

7. आवेदन प्राप्त होने पर म.प्र. मेडिकल कौंसिल द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी –

7.1 आवेदक द्वारा चयनित तिथि को आवेदक के उपस्थित होने की स्थिति में ही आवेदन/अभिलेखों के सत्यापन, आवेदन स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने की कार्यवाही म.प्र. मेडिकल कौंसिल द्वारा की जावेगी।

7.2 यदि आवेदन में कोई कमी पाई जाती है तो संशोधन हेतु आवेदन आवेदक को ऑनलाइन वापस (Sent Back) किया जावेगा । ऐसी स्थिति में आवेदक को उसी दिन अपने लॉगइन पर जाकर आवेदन में संशोधन कर प्रस्तुत करना होगा।

7.3 आवेदन में आवेदक का फोटो एवं हस्ताक्षर एक साथ स्केन कर निर्धारित फॉर्मेट में अपलोड होकर प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे आवेदन को निरस्त कर दिया जावेगा।

7.4 आवेदन में अपने नाम की स्पेलिंग उनके द्वारा धारित अंकसूची/प्रमाण पत्र के अनुरूप नहीं पाई जाती है तो ऐसे आवेदन को निरस्त कर दिया जावेगा।

7.5 आवेदन एवं दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत आवेदन प्रोविजनल पंजीयन के लिए पात्र नहीं पाया जाता है तो ऐसे आवेदन को स्पष्ट कारण दर्शाते हुए निरस्त कर आदेश पारित किया जावेगा।

7.6 आवेदन एवं दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत आवेदन प्रोविजनल पंजीयन के लिए पात्र पाए जाने पर आवेदन स्वीकृत कर पंजीयन क्रमांक जनरेट किया जावेगा।

7.7 म. प्र. मेडिकल कौंसिल द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र / आवेदन पत्र अस्वीकृत करने का सूचना पत्र आवेदक के पते पर स्पीड पोस्ट से भेजा जावेगा।

7.8 प्रोविजनल (विदेश से प्राप्त चिकित्सा अर्हता) के पंजीयन हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का सत्यापन संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय / चिकित्सालय/संस्थाओं से प्राप्त होने के उपरांत ही परमानेन्ट पंजीयन जारी किया जावेगा।

10/11/21

10/11/21

8. शुल्क –

8.1 भारत के बाहर के देशों से एम.बी.बी.एस. अथवा समकक्ष कोर्स पश्चात् म.प्र. मेडिकल कौंसिल में प्रोविजनल पंजीयन हेतु अप्रतिदेय (non refundable) शुल्क रूपये 15000/– (रूपये पंद्रह हजार मात्र) है।

8.2 **विलंब शुल्क :–**

नेशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशन, नई दिल्ली का Screening Test उत्तीर्ण करने की दिनांक से–

- 3 माह तक — निरंक
- 3 माह से 6 माह के भीतर — रू. 2000=00
- 6 माह से 12 माह के भीतर — रू. 5000=00
- 12 माह से अधिक — रू. 10000=00

8.3 उपरोक्त के अतिरिक्त आवेदक को एम. पी. ऑनलाइन द्वारा निर्धारित पोर्टल शुल्क का भुगतान करना होगा ।

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा एवं पदेन अध्यक्ष
म.प्र. मेडिकल कौंसिल द्वारा अनुमोदित

रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल भोपाल
10/11/2021

पृ0 कं. एमपीएमसी/प्रोविजनल(विदेश)/2021/3662-3671 भोपाल दिनांक 10/11/2021
प्रतिलिपिः–

1. सचिव, म. प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, म. प्र. ।
2. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा सतपुड़ा भवन भोपाल म. प्र. ।
3. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं म. प्र. ।
4. संचालक चिकित्सा शिक्षा म. प्र. ।
5. रजिस्ट्रार, म. प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर ।
6. अधिष्ठाता, समस्त चिकित्सा महाविद्यालय मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने हेतु।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एम पी ऑनलाईन लिमिटेड, ब्लाक–ओ.बी., 14–17, चतुर्थ मंजिल, डी बी सिटी कॉर्पोरेट पार्क, अरेरा हिल्स, एम. पी. नगर जोन–1 के सामने, भोपाल।
8. श्री शैलेष धोटे, मेजेनमेन्ट एक्सपर्ट की ओर कार्यालय की बेवसाइट पर अपलोड किये जाने/आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9. उप पंजीयक म. प्र. मेडिकल कौंसिल, भोपाल ।
10. समस्त कर्मचारी, स्थानीय कार्यालय म. प्र. ।

रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल भोपाल
10/11/2021

" Appendix –A"

शपथपत्र

मैं, ... आत्मज/आत्मजा ...., आयु–............ वर्ष, निवारी – .... शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता/करती हूँ कि–

1) यह कि मेरे द्वारा एम.बी.बी.एस. अंतिम वर्षीय परीक्षा ....में .... से Foreign Medical Graduate के रूप में उत्तीर्ण की है।

2) यह कि नेशनल मेडिकल कमीशन नई दिल्ली (तत्कालीन मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली) द्वारा जारी निर्देश अनुसार मध्यप्रदेश का मूल निवासी होने के कारण इसी प्रदेश (मध्यप्रदेश) में मेरा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन किया जाना है।

3) यह कि म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग / संचालनालय चिकित्सा शिक्षा म.प्र. के अनुमति आदेश कमांक .... दिनांक .... द्वारा म.प्र. राज्य के ....से इन्टर्नशिप करने हेतु अनुमति प्रदान की गई है।

4) यह कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हेतु ऑनलाइन आवेदन के साथ मेरे द्वारा जो दस्तावेज अपलोड/प्रस्तुत किये गये हैं, वे वास्तविक और सत्य हैं।

5) यह कि यदि उपरोक्त विवरण एवं अपलोड/प्रस्तुत किये गये दस्तावेज झूठे, गढ़े गये अथवा छेड़छाड़ किये गये हों तो परिषद मेरे पंजीयन को निरस्त कर मेरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगी।

6) यह कि निर्धारित समयवधि में मेरे द्वारा इन्टर्नशिप प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद भी नेशनल मेडिकल कमीशन नई दिल्ली (तत्कालीन मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली) के परिपत्र क. MCI -203 (1) (Gen)/2013-Regn.59243 Dated: 24-02-2011 में जारी दिशा निर्देश अनुसार जब तक मेरे द्वारा विदेश से प्राप्त की गई चिकित्सा अर्हताओं एवं अन्य संबधित अभिलेखों के सत्यापन संबंधित भारतीय दूतावास, कांउसिलेट, संस्थान आदि से मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल को प्राप्त नहीं होता है, मैं मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल से अपना परमानेंट रजिस्ट्रेशन लेने का हकदार नहीं होऊँगा /होऊँगी ।

स्थान :

दिनांक : शपथग्रहिता

//सत्यापन–लेख//

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि उपरोक्त शपथ–पत्र मेरे द्वारा बिना किसी प्रकार के दबाव के स्वेच्छा से प्रस्तुत किया गया है जिसके चरण कमांक 1 से लेकर 4 में दिये गये सम्पूर्ण कथन पूर्णतः सत्य हैं इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है और न ही किसी सत्य को छुपाया गया है।

स्थान :

दिनांक : शपथग्रहिता

10/11/21

10/11/2021

Appendix 'B'

Colour
Photo

Signature

10/11/21

10/11/2021